संख्या–743/35–4–2014

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–4

लखनऊःदिनांक 15 अक्टूबर,2014

विषयः–वर्ष 2014–15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ में शासनादेश संख्याः 120/35–4–2014 दिनॉक 21 जनवरी, 2014 के द्वारा 06 कार्यों की रू. 396.86 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रू. 198.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी के पत्र संख्याः 1469/22 सी. दिनांक 24 मई,2014 द्वारा प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक अंश का उपयोग हो गया है। अतः एतद्द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार कार्यों के लिये उनके सामने अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष देय धनराशि, जिसका कुल योग रू 65.05 लाख (रूपये पैसठ लाख पॉच हजार मात्र) होता है, आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	जमालपुर फाटक से महेशपुर तिराहे तक सड़क निर्माण कार्य	77.64	38.82	38.82
2	केलानगर चौराहे के निकट सगीर रोशनी वालों के मकान से खान साहेब के मकान तक सड़क निर्माण कार्य	8.70	4.35	4.35
3	निधिवन कालोनी निकट कावेरी–एटा चुंगी बाईपास रोड पर निधिवन कालोनी का मुख्य मार्ग व लिंक गलियों में सड़क निर्माण कार्य	43.76	21.88	21.88
	योग	**130.10**	**65.05**	**65.05**

1– सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 जनवरी, 2014 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2– प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी. एल.ए. में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यो के रूप में कार्यदायी विभाग – द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत–सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–47/दस–97–10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3– इस शासनादेश से कार्यों के लिये अनुमोदित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। इस प्रकार अब कोई धनराशि देय न होगी। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च,2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च,2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग–4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6– कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगें।

2– उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–40–आयोजनागत–लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय– 04–जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–03–त्वरित आर्थिक विकास योजना–04–शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाले जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–2457/दस–2014–231 /2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

15/10/14

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्याः 943 (1)/ 35–4–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2–महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3–प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/गन्ना विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/कृषि विपणन।
4–प्रमुख सचिव, वित्त।
5–निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
6–मण्डलायुक्त, अलीगढ़।
7– जिलाधिकारी, अलीगढ़।
8–मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
9–कोषाधिकारी, अलीगढ़।
10–गार्ड फाईल
11–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
12–राज्य योजना आयोग–1
13–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अलीगढ़।

आज्ञा से,

15/10/14

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।